न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 28/2018

अशोक कुमार पुत्र श्री बिड़दीचन्द उम्र 55 वर्ष जाति महाजन निवासी जसरापुर,तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम अशोक कुमार अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 126/2017 निर्णय दिनांक 11.4.2018

उपस्थितिः—

1 श्री धीरज कुमार, एडवोकेट ———— ———— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.7.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अशोक कुमार मु0नं0 126/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—भूमि खसरा नंबर 2584, 2521 के कसी भी भाग पर अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट वर्षो से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्यास के आधार पर निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा इसी भूमि पर पुराना कब्जा मानकर नियमितिकरण की सिफारिश के साथ जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाया गया है और दूसरी तरफ अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है जो आपस में विरोधाभाषी एवं कानून के विरूद्ध हैं। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सभी तथ्य पेश किये परन्तु उन पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय न

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

तो पत्रावली का अवलोकन किया व न ही न्यायिक विवके का प्रयोग किया । उक्त आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 11.04.2018 निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— भूमि खसरा नंबर 2584/2521 के कसी भी भाग पर अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश क्रमांक प 12 राज/17/1276—81 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत जसरापुर को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की जा चुकी है। और ग्राम पंचायत जसरापुर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 27.03.2019 आपीलांट के नाम से जारी किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनरांक 11.04.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 2584/2521 किस्म गैर मु0 बीड़ पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2584/2521 श्रीमान जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश क्रमांक प 12 राज/17/1276—81 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत जसरापुर को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की जा चुकी है। ग्राम पंचायत जसरापुर द्वारा वादग्रस्त अपीलांट को आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 27.03.2019 आपीलांट अशोक कुमार के नाम से जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता।

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2018 उनवानी सरकार बनाम अशोक कुमार मु0नं0 28/2018 निरस्त किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू